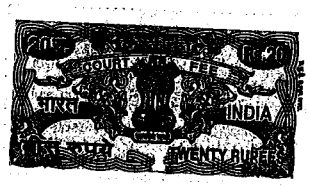

न्यायालय श्रीमान् म.प्र. राजस्व मण्डल, ग्वालियर म.प्र., केम्प उज्जैन

निग० 2781-III/15 प्र.क. ....

हाजि नबीनूर पिता ईस्माईलजी मुसलमान फोत एल.आर

1. चांद मोहम्मद पिता नबीनूर नि. मानासा
2. बाबु हुसैन पिता हाजि नबीनूर
3. शेहजाद हुसैन पिता हाजि नबीनूर
4. आमना बाई पिता हाजि नबीनूर नि. मनासा, तह. मानासा, जिला नीमच
5. उलफतबाई पिता हाजि नबीनूर
   नि. मन्दसौर .... आवेदकगण निगरानीकर्ता

विरूद्ध

1. रमजानी बाई विधवा अब्दूलगफुर फोत एल.आर नही
2. हज्जयानी जन्नतबाई बेवा अब्दूलसत्तार नि. मनासा
3. अब्दूल शकुर पिता अब्दूल गफुर नि. अनुपपुरा मनासा, जिला नीमच

.... अनावेदकगण

पूनःनिरिक्षण प्रार्थाना पत्र अन्तर्गत धारा 50 भू राजस्व संहिता 1959

पूनः निरिक्षण अधिनस्त न्यायालय अपर आयुक्त महोदय, उज्जैन संभाग के प्रकरण क्र.349/अपील/11,12 अपील में पारित आदेश दिनांक 22.06.2015 से असंतुष्ट होकर माननीय न्यायालय में होकर ये निगरानी पेश है –

मान्यवर महोदय,

1. यह कि प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि अनावेदकगणों ने एक प्रार्थना पत्र न्यायालय तेहसीलदार मानासा में ईस्माईलजी पिता दीन मोहम्मद के कृषि भूमि सर्वे न. 874 रकबा 1.432 भूमि ग्राम मनासा पर अपने नाम नामांतरण करने का प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसमें आवेदक को पार्टी बनाया गया।

2. यह कि अपीलकर्ता निगरानीकर्ता ने माननीय अपर आयुक्त महोदय उज्जैन के न्यायालय मे तहसीलदार महोदय मनासा के प्रकरण क्र. 70 अ6/26.04.2003 अनुविभागीय अधिकारी मनासा के प्र.क्र. 44/2/2002–03 31.10.2015 से असंतुष्ट होकर द्वितीय अपील अपर आयुक्त उज्जैन के न्यायालय में पेश कि जिस प्र.क्र.104/05.06 अपील पर अंकित होकर दि.30 मई 2009 को आदेश द्वारा स्वीकार होकर कोई

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 2781–तीन/2015 जिला नीमच

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकार एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
19–11–2015	आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षिप्त में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त उज्जैन संभाग के प्रकरण कमांक 349/2011–12/अपील में पारित आदेश दिनांक 22–6–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की सत्यापित प्रति का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि नामांतरण प्रकरण की अपील अनुविभागीय अधिकारी को की गई जिसके पश्चात अपर आयुक्त को द्वितीय अपील पेश की गई थी। अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 10–5–09 से अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यावर्तित किया गया था जिसके पश्चात पुनः तहसील न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी सहित अपर आयुक्त न्यायालय में सुनवाई के पश्चात आदेश पारित किये गये हैं। इस प्रकरण में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों में दो–दो बार सुनवाई की जाकर आदेश पारित किये जा चुके हैं। अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त ने तथ्यों की पूर्ण विवेचना कर विस्तृत आदेश पारित किया है। अपर आयुक्त ने अपने आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष निकाला है कि जहां स्वत्व के निर्धारण का प्रश्न है, उक्त अधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं है। अपर आयुक्त सहित तीनों अधीनस्थ	

न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में प्रथमदृष्टया प्रकट नहीं होने निगरानी अग्राह्य की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य